राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

" ए " ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309 Email- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

दिनांक :– 26-02-2019

क्रमांक :–एफ4 (ई)(1)(6)/पदस्थापन/अलेसे–III/2907

आदेश संख्या : 355/2018-19

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा 2013 में सफल घोषित होने एवं आयोग द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशंषा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 6 के अनुसार निम्नाकित अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (कनिष्ठ लेखाकार) के रूप मे उपस्थिति देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन–भत्तों पर प्रोविजनल आधार पर नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नाकिंत तालिका में उनके समक्ष अंकित विभाग/कार्यालय मे आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग को Email- jacct.dta@rajasthan.gov.inपर आवश्यक रूप से सूचित करे।

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री) पिता का नाम रोल नं.–मेरिट क्रमाक/वर्ष	जन्मतिथि	पदस्थापन कार्यालय	अभ्यर्थी का फोटो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	AMIT KUMAR JHALANI BALDEV KUMAR JHALANI 433350-1416/2013	28-Jul-78	REGISTRAR - 1000073 , MATSAYA UNIVERSITY (EX CADRE POSTS) , ALWAR , ALWAR	
2	VARSHA RANI PAL PREM RAJ PAL 824690-2386-A/2013	09-Dec-87	SUB TREASURY OFFICER (INDEPENDENT) - 20534 , TREASURIES AND ACCOUNTS , LUNI , JODHPUR	
3	ARUN SHARMA RADHEY SHYAM SHARMA 869726-15/2013	16-Sep-83	DIRECTOR - 1090 , TREASURIES AND ACCOUNTS , JAIPUR , JAIPUR	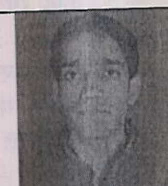

उपरोक्त अभ्यर्थियो को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नाकिंत शर्तो के अध्यधीन दी जा रही है:–

1. उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणर्थियो को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1) एफडी/रुल्स/ 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। राज्य सेवा मे कार्यरत चयनित अभ्यर्थी सेवानियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व विभाग से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करने पर ही पूर्व/विद्यमान की सेवा का लाभ देय होगा।

D:\appointment Order.doc

13. उपरोक्त अभ्यर्थी उक्त आदेश की पालना में नवनियुक्त विभाग/कार्यालय में निश्चित तिथि तक कार्यग्रहण नही करतें है और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते है तो उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :–एफ4 (ई)(1)(6)/पदस्थापन/अलेसे–III/2907 **दिनांक :– 26-02-2019**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2 शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
3 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4 वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, जयपुर।
5 अतिरिक्त निदेशक (विधि) निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
6 विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ....को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियो से संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र–ए में शपथ पत्र (50 रुपयें के नॉनज्यूडिशियल ई–स्टाम्प पेपर पर) प्राप्त करने के उपरान्त ही इनकी उपस्थिति स्वीकार कर कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करावे ।
7 सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8 श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री..................................
9 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक ।
10 उपनिदेशक (एसीपी) कोष एवं लेखा जयपुर को कम्प्यूटर पर अपलोड करने एवं पीआईएस (COINS) रिकार्ड संधारण हेतु।
11 रक्षित /निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्तनिदेशक (कार्मिक–III)

D:\appointment Order.doc